THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: Plexh/Cir/328 **22 जुलाई 2026**

को
प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय सदस्य,

प्लेक्सकॉन्सिल की ओर से नमस्कार!

भारत सरकार वर्तमान में पांच देशों के क्षेत्रीय समूह - यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (ईएईयू) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत कर रही है। इस समूह के पांच सदस्य हैं: आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस।

इन वार्ताओं के तहत, सरकार ने सात मास्टरबैच सहित 138 प्लास्टिक उत्पादों के लिए उत्पाद विशिष्ट उत्पत्ति नियमों (पीएसआर) पर उद्योग से सुझाव मांगे हैं। भारत का इन 138 वस्तुओं का पूर्वी यूरोपीय संघ (ईएयू) को निर्यात 123 मिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

उत्पाद-विशिष्ट उत्पत्ति नियम (PSR) को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल उन्हीं उत्पादों को अधिमान्य शुल्क लाभ प्राप्त हों जो वास्तव में मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के भागीदार देशों में निर्मित हुए हों। इससे तीसरे देशों से माल ढुलाई या न्यूनतम प्रसंस्करण के माध्यम से आने वाले उत्पादों द्वारा FTA रियायतों के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।

इन 138 उत्पादों के लिए भारत के व्यापार डेटा को निम्नलिखित लिंक से प्राप्त किया जा सकता है: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CH8phbqCioCWvlAm0BBVeFcLL-bU9IM0/edit?usp=sharing&ouid=108218688201736716589&rtpof=true&sd=true

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भारत-ईएईयू एफटीए के लिए उपयुक्त पीएसआर पर सुझाव प्रदान करें, साथ ही प्रस्तावित नियम के लिए एक संक्षिप्त औचित्य भी प्रस्तुत करें।

कृपया अपने सुझाव bharti@plexconcil.org और research@plexconcil.org पर शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को शाम 4:00 बजे तक भेजें।

आपके बहुमूल्य सुझाव भारत सरकार को उद्योग की ओर से सिफारिशें तैयार करने में सहायक होंगे।

साभार,

राजा नारायणन

वरिष्ठ प्रबंधक

प्लेक्सकॉन्सिल